BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास करने के 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- योगेन्द्र पुत्र पूरन सिंह, 2- गोकुल उर्फ छोटू पुत्र योगेन्द्र निवासीगण मुकीमपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में अपने गांव निवासी सरदार सिंह के घर में घुसकर उसके परिजनो के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.05.2017 को थाना सलेमपुर पर मुअसं-141/17 धारा-307, 323, 325, 452, 504, 506,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 28.07.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-15, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने परअभियुक्त योगेन्द्र व गोकुल उर्फ छोटू को 03-03 वर्ष का कारावास व 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर